बिहार सरकार
उद्योग विभाग

संकल्प

बिहार बॉयोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन (संशोधन) नीति, 2025

राज्य सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार हेतु बॉयोफ्यूल्स के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उद्योग विभाग के संकल्प ज्ञापांक–1957 दिनांक–10.07.2023 द्वारा बिहार बॉयोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2023 लागू की गयी है। जिसमें स्टेज–I क्लीयरेंस के लिए 30 जून, 2024 तक आवेदन देने वाली इकाईयों को ही इस नीति के अनुसार लाभ देने का प्रावधान है। कम्प्रेस्ड बॉयोगैस (CBG) प्लान्ट स्थापित होने से एक ओर जहाँ वायु प्रदूषण में कमी होगी, वहीं दूसरी ओर रोजगार की नई संभावनाएँ बनेगी एवं फसल अवशेष प्रबंधन के उद्देश्य से कम्प्रेस्ड बॉयोगैस (CBG) इकाईयों को राज्य में उद्योग लगाने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त निजी कम्पनियों/तेल विपणन कम्पनियों (OMCs) द्वारा कम्प्रेस्ड बॉयोगैस (CBG) इकाई स्थापित किये जाने हेतु बियाडा के औद्योगिक क्षेत्रों में जमीन लीज पर दिये जाने से उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।

2. तदालोक में बिहार बॉयोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2023 के कंडिका–5.6, कंडिका–5.7 एवं कंडिका–5.9 को निम्नवत् संशोधित किया जाता है:–

कंडिका–5.6 :–

इस नीति अंतर्गत आवेदन की समयावधि

इस नीति अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र इकाइयों को दिनांक 30.06.2024 तक स्टेज–1 क्लीयरेंस के लिए आवेदन जमा करने का प्रावधान था, **परन्तु कम्प्रेस्ड बॉयोगैस (CBG) इकाइयों के लिए दिनांक 31.03.2027 तक आवेदन जमा किया जा सकेगा।** इथेनॉल एवं कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG)/बायो सी0एन0जी0 इकाई की स्थापना हेतु उद्यमी द्वारा जमा किए गए स्टेज–1 के सभी आवेदनों को राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद के आगामी बैठक में प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हर तरह से पूर्ण आवेदन को स्टेज–1 की स्वीकृति प्रदान की जाएगी तथा इसकी सूचना संबंधित उद्यमी को दी जाएगी।

वैसी पात्र इकाइयाँ जो इस नीति के निर्गत होने के पूर्व स्टेज–1 की स्वीकृति प्राप्त कर चुकी है, उन्हें भी इस नीति से आच्छादित किया जाएगा।

कंडिका–5.7 :–

पहले आओ–पहले पाओ के आधार पर प्रोत्साहन

इस योजनांतर्गत पहले आओ–पहले पाओ के आधार पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इस नीति अंतर्गत दिनांक 30.06.2024 तक स्टेज–1 क्लीयरेंस के लिए

आवेदन करने वाली सभी इकाइयाँ प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्र है, अगर वे 30.06.2025 तक अथवा इसके पूर्व वित्तीय प्रोत्साहन मंजूरी के लिए भी आवेदन कर देती है।

परन्तु, दिनांक 31.03.2027 तक स्टेज–1 क्लीयरेंस के लिए आवेदन करने वाली सभी कम्प्रेस्ड बॉयोगैस (CBG) इकाइयाँ प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्र होंगी, अगर वे दिनांक–31.03.2028 तक अथवा इसके पूर्व वित्तीय प्रोत्साहन मंजूरी के लिए भी आवेदन कर देती है।

कंडिका–5.9 :–

उद्यमियों एवं उद्योग विभाग द्वारा समय सीमा का अनुपालन

(i) स्टेज–1 क्लीयरेंसः–उद्यमियों को उद्योग विभाग के सिंगल विण्डो क्लीयरेंस पोर्टल (swc2.bihar.gov.in) पर दिनांक–30.06.2024 तक स्टेज–1 क्लीयरेंस के लिए आवेदन जमा करना था।
परन्तु, कम्प्रेस्ड बॉयोगैस (CBG) इकाइयों के लिए दिनांक–31.03.2027 तक स्टेज–1 क्लीयरेंस के लिए आवेदन जमा किया जा सकेगा।

(ii) बियाडा द्वारा भूमि का आवंटनः– भूमि आवंटन के लिए उद्यमियों द्वारा बियाडा के पोर्टल पर आवेदन करना होगा जिसे बियाडा द्वारा आगामी 07 कार्य दिवसों में निष्पादित किया जायेगा।

(iii) वित्तीय स्वीकृतिः– वित्तीय स्वीकृति के लिए उद्यमियों को उद्योग विभाग के सिंगल विण्डो क्लीयरेंस पोर्टल (swc2.bihar.gov.in) पर अधिकतम 30.06.2025 तक आवेदन करना होगा।
परन्तु, कम्प्रेस्ड बॉयोगैस (CBG) इकाइयों की वित्तीय स्वीकृति के लिए निजी कंपनियों/तेल विपणन कम्पनियों द्वारा उद्योग विभाग के सिंगल विण्डो क्लीयरेंस पोर्टल (swc2.bihar.gov.in) पर अधिकतम दिनांक–31.03.2028 तक आवेदन किया जा सकेगा।

(iv) निजी कंपनियों/तेल विपणन कम्पनियों (OMCs) को कम्प्रेस्ड बॉयोगैस (CBG) इकाई स्थापित किये जाने हेतु अनुसूची–I में दिये गये बियाडा के औद्योगिक क्षेत्रों में अधिकतम 25 प्रतिशत भूमि रु0 75,000.00 (रुपये पचहत्तर हजार) मात्र प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से 30 वर्षों के लीज पर दी जा सकेगी। इसके अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र के आधारभूत संरचना के विकास एवं रख–रखाव के लिए बियाडा भू–आवंटन नीति में वर्णित प्रावधान के अनुसार अनुमान्य शुल्क की राशि देय होगी।

(v) इस नीति के अंतर्गत कम्प्रेस्ड बॉयोगैस (CBG) इकाईयों के लिए अनुदान विमुक्ति/भुगतान की अवधि 07 साल होगी।

3. यह नीति "बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन (संशोधन) नीति, 2025" कही जा सकेगी ।

4. उक्त पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–25.04.2025 के मद संख्या–01 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 1635 /पटना, दिनांक:– 25-04-2025
सं0सं0–4तक० / बॉयोफ्यूल्स पॉलिसी / 13 / 2023
प्रतिलिपि :–महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 1635 /पटना, दिनांक:– 25-04-2025
सं0सं0–4तक० / बॉयोफ्यूल्स पॉलिसी / 13 / 2023
प्रतिलिपि :–माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव / माननीय मंत्री, उद्योग विभाग के आप्त सचिव / मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी / विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 1635 /पटना, दिनांक:– 25-04-2025
सं0सं0–4तक० / बॉयोफ्यूल्स पॉलिसी / 13 / 2023
प्रतिलिपि :–सभी अपर मुख्य सचिव / सभी प्रधान सचिव / सभी सचिव / सभी विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 1635 /पटना, दिनांकः– 25-04-2025

सं0सं0–4तक०/बॉयोफ्यूल्स पॉलिसी/13/2023

प्रतिलिपि :–उद्योग निदेशक/निदेशक, तकनीकी विकास/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उद्योग विभाग के सभी निगम/प्राधिकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 1635 /पटना, दिनांकः– 25-04-2025

सं0सं0–4तक०/बॉयोफ्यूल्स पॉलिसी/13/2023

प्रतिलिपि :–सभी प्रमंडलीय आयुक्त/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 1635 /पटना, दिनांकः– 25-04-2025

सं0सं0–4तक०/बॉयोफ्यूल्स पॉलिसी/13/2023

प्रतिलिपि :–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी (सी0डी0 में) तथा दो हार्ड कॉपी के साथ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय।

अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 1635 /पटना, दिनांकः– 25-04-2025

सं0सं0–4तक०/बॉयोफ्यूल्स पॉलिसी/13/2023

प्रतिलिपि :–आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को संकल्प की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

अनूसूची–I

बियाडा के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्रों की सूची

क्र0सं0	औद्योगिक क्षेत्र	जिला का नाम
1	औद्योगिक क्षेत्र, बरियारपुर	मुजफ्फरपुर
2	औद्योगिक क्षेत्र, कोर्रा	मुजफ्फरपुर
3	औद्योगिक क्षेत्र, विशुनपुर धरम	मुजफ्फरपुर
4	औद्योगिक क्षेत्र, कुमारबाग	पश्चिम चम्पारण
5	औद्योगिक क्षेत्र, बनमनखी	पूर्णियाँ
6	औद्योगिक क्षेत्र, सुपौल	सुपौल
7	औद्योगिक क्षेत्र, परबत्ता	खगड़िया
8	औद्योगिक क्षेत्र, गोपालगंज, फेज–3	गोपालगंज
9	औद्योगिक क्षेत्र, लोहट, फेज–1	मधुबनी
10	इसके अतिरिक्त बियाडा को भविष्य में प्राप्त होने वाली भूमि पर कम्प्रेस्ड बॉयोगैस की इकाइयों के लिए अलग से जोन विकसित कर भूमि आवंटित किया जा सकेगा।	